फोलियों नं. : 24 मार्च,2023

विषय : हुडको लिमिटेड (कंपनी) में आपकी भौतिक शेयरधारिता के संबंध में स्थायी खाता संख्या (पैन), केवाईसी विवरण और नामांकन को अद्यतन करने तथा शेयरों के डीमैटेरियलाइजेशन के लिए सेबी परिपत्र।

प्रिय हितधारक(को),

यह हमारे द्वारा पहले भेजे गए दिनांक 24 फरवरी 2022 के पत्र के अतिरिक्त है, जिसमें सूचित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 14 दिसंबर 2021,के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीए/पी/सीआईआर/687, दिनांक 16 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 साथ पठित, दिनांक 3 नवंबर,2021 के अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के द्वारा, यह अधिदेशित किया है कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक को कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।
उपरोक्त के मद्देनजर, कृपया निम्नलिखित प्रदान करें

क) पैन और केवाईसी विवरण के अद्यतन के लिए, विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर-1;
ख) आपके पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (संयुक्त धारकों के पैन कार्ड सहित, यदि कोई हो, उनके द्वारा विधिवत स्व-सत्यापित);

ग) पिन कोड के साथ डाक पता, आपके वैध पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति;

घ) मोबाइल नंबर और ईमेल पता;

ड) बैंक खाते का विवरण अर्थात बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या और आईएफएस कोड, जो स्वयं सत्यापित बैंक स्टेटमेंट या मूल रद्द चेक लीफ द्वारा समर्थित हो,

च) नमूना हस्ताक्षर - संलग्न फॉर्म आईएसआर-2 में हस्ताक्षर का बैंकर सत्यापन प्रदान करें, और

छ) संलग्न फॉर्म एसएच-13 में उपरोक्त फोलियो के लिए नामांकन या संलग्न फॉर्म आईएसआर 3 में ऑप्ट-आउट करने की घोषणा, यदि आप किसी भी व्यक्ति को नामांकित करना नहीं चाहते हैं। पंजीकृत नामांकन में परिवर्तन के लिए संलग्न फॉर्म एसएच-14*

* फॉर्म एसएच-14 के माध्यम से शेयरधारक द्वारा नामांकन रद्द करने के मामले में, शेयरधारक द्वारा फॉर्म आईएसआर-3 में ऑप्ट-आउट करने की घोषणा भी प्रदान की जाएगी।

नोट-1 कंपनी/आरटीए धारक/दावेदार से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि पैन, केवाईसी और नामांकन दस्तावेज/विवरण फोलियो में पूर्ण न हो जाएं। साथ ही, कृपया ध्यान दें कि यदि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो में उपर्युक्त कोई भी दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे फोलियो को आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। एक बार आपका फोलियो फ्रीज हो जाने पर, ऐसे फोलियो में किसी भी सेवा अनुरोध पर आरटीए द्वारा उपरोक्त के अनुसार पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। (कृपया परिपत्र का खंड 5.2 शामिल करें)

नोट-2 यदि फोलियो 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहता है, तो इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

नोट-3 इसके अलावा, सेबी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 40 में भी संशोधन किया है और अधिदेशित किया है कि भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें किसी डिपॉजिटरी के पास अमूर्त रूप में न रखा जाए। इसे देखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को यथाशीघ्र अमूर्त रूप में बदल लें अन्यथा आप अपने भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों को अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (यूनिट हुडको लिमिटेड), 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,

झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 पर या ईमेल के माध्यम से kycupdate@alankit.com पर यथाशीघ्र निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से भेजें:

1. हार्ड कॉपी के माध्यम से जो स्वयं सत्यापित और दिनांकित होनी चाहिए।
2. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, बशर्ते कि वे धारक की ईमेल आईडी के माध्यम से भेजे जाएं और सभी दस्तावेज शेयरधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने चाहिए।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
(ईकाइ:

हस्ताक्षरित
अधिकृत हस्ताक्षर

यह कंप्यूटर जनित पत्र है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।